

सशक्त एवं आत्मनिर्भर महिलाओं की भूमिका विकसित भारत @ 2047 के संदर्भ में अवधेश कुमार¹, प्रो० (डॉ०) राजीव पाण्डेय

¹शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला स्ना० महाविद्यालय, माधवपुरम, मेरठ
¹प्राचार्य (से०नि०) राजकीय महिला महाविद्यालय, खरखौदा, मेरठ

Received: 26 Dec 2025 Accepted & Reviewed: 28 Dec 2025, Published: 31 December 2025

Abstract

भारत ने वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस में चार प्रमुख स्तम्भ गरीब, युवा, महिलाएं और किसान को सशक्त बनाना आवश्यक माना गया है। इन चारों में “महिलाएं” राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण धुरी के रूप में उभर रही है विकसित भारत व 2047 के अनुसार, महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और सतत विकास का आधार भी है। भारत सरकार द्वारा लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है। इस योजन के अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार, सम्मानजनक आय, सामाजिक सुरक्षा तथा निर्णय-निर्माण में भागीदारी के अवसर प्राप्त हुए हैं। इससे ग्रामीण समाज में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के दिशा में ठोस प्रगति हुई है। विकसित भारत के निर्माण हेतु महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना देने के लिए आवश्यक है कि मनरेगा जैसी जन-केन्द्रित योजनाओं को और अधिक महिला उन्मुख बनाया जाए, जिससे वे राष्ट्र की आर्थिक धारा में समान रूप से योगदान दे सकें।

मुख्य शब्द— विकसित भारत व 2047, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर, मनरेगा, ग्रामीण विकास, महिला-भागीदारी

Introduction

भारत आज जिस तीव्र गति से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, उसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है यह दृष्टि केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समावेशी, न्यायसंगत और सशक्त समाज की परिकल्पना भी प्रस्तुत करती है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब “विकसित भारत @ 2047” का यह सपना उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा जहां प्रत्येक नागरिक-विशेषकर गरीब, किसान, युवा और महिलाएं-समान अवसरों के साथ आत्मनिर्भर और सशक्त हों। इन चार स्तम्भों में महिलाएं देश की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रही हैं। भारत की महिलाएं न केवल पारिवारिक संरचना की आधारशिला हैं, बल्कि वे कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं किन्तु ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई अनेक योजनाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान का प्रमुख माध्यम बनी है। वर्ष 2005 में प्रारंभ हुई यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती है किन्तु इसका प्रभाव केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहा इसने ग्रामीण महिलाओं को घर के आस-पास ही सम्मानजनक कार्य के अवसर प्रदान कर आर्थिक निर्भरता और सामाजिक पहचान की भावना को सशक्त किया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पंजीकृत महिला श्रमिक की संख्या 1374.09 लाख रही, जिनमें से 1220.21 लाख महिलाएं सक्रिय रूप से कार्यरत रही। इसी अवधि में महिला श्रमिकों द्वारा 16876.269 लाख मानव श्रम दिवस सृजित किए गए, जो मनरेगा के अन्तर्गत कुल सृजित मानव श्रम दिवसों का लगभग 57.8% है। यह तथ्य दर्शाता है कि ग्रामीण महिलाएं अब केवल सहयोगी नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में उभर रही है।

मनरेगा ने महिलाओं के लिए दोहरा परिवर्तन लाया है—एक ओर उन्हें मजदूरी आधारित आय का अवसर मिला, जिसमें आर्थिक स्वावलंबन की भावना विकसित हुई, दूसरी ओर समाज में उनकी भूमिका निर्णय-निर्माण की भागीदारी भी बढ़ी। विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां महिलाओं की कार्य भागीदारी ऐतिहासिक रूप से कम रही, वहां मनरेगा ने ग्रामीण विकास और लैंगिक समानता दोनों को जोड़ने का माध्यम प्रस्तुत किया है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुर्नगठन का भी सशक्त साधन बनी है। महिलाओं द्वारा जल संरक्षण, सड़क निर्माण वृक्षारोपण, तालाब खुदाई, भूमि सुधार जैसी गतिविधियों में किए गए योगदान ने न केवल ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ किया है बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दिया है। इन गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं ने अपने श्रम को उपादक परिसम्पत्तियों में रूपांतरित किया, जिससे उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण भी सकारात्मक हुआ।

वर्तमान में भारत “विकसित भारत @ 2047” के जिस मार्ग पर अग्रसर है, उसमें सशक्त महिला केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है। यदि महिला श्रम शक्ति की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाए, तो भारत की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, महिलाओं की श्रम भागीदारी दर में वृद्धि से न केवल आय असमानता घटेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सतत विकास को बल मिलेगा। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों ने इस दिशा में ठोस परिणाम दिए हैं। योजना के तहत महिलाओं की औसत भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर 50% से अधिक तक पहुंच चुकी है, जो नीति निर्धारण और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों से परिवर्तन का सूचक है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण महिलाएं अब केवल मजदूर नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया की सक्रिय सहभागी बन चुकी हैं।

“विकसित भारत की अवधारणा में महिलाओं की भूमिका केवल आर्थिक योगदान तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, नेतृत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों तक विस्तृत है। जब महिलाएं आत्म निर्भर होती हैं, तो वे केवल अपने परिवार की स्थिति नहीं सुधारती, बल्कि पूरे समुदाय और समाज में परिवर्तन की वाहक बनती हैं। इसलिए “सशक्त एवं आत्मनिर्भर महिला” विकसित भारत की वह आधारशिला है, जिसके बिना राष्ट्रीय की समृद्धि अधूरी है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत के ग्रामीण विकास की यात्रा में महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का अनिवार्य शर्त है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार सशक्त होता है, जब परिवार सशक्त होता है, तो समाज और राष्ट्र दोनों का विकास सुनिश्चित होता है। इसी दर्शन को मूर्त रूप देने के लिए “विकसित भारत @ 2047” का मार्ग सशक्त और आत्मनिर्भर महिला” से होकर ही गुजरता है।

साहित्य की समीक्षा:— किसी शोध अध्ययन के लिए शोध से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक होता है इससे शोध को एक दिशा प्राप्त होती है। साहित्य की समीक्षा न केवल महत्वपूर्ण चरों की प्राप्ति में सहायक होती है बल्कि पूर्व में सम्पादित अध्ययनों व प्रमुख बिन्दुओं एवं कमियों को समझने की अन्तः दृष्टि

भी प्रदान करती है अनेक विद्वानों, संस्थानों और सरकारी रिपोर्टों ने सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया।

Planning Commission (2008) की रिपोर्ट में कहा गया कि “मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को पहली बार मजदूरी कार्य में सम्मानजनक स्थिति दी है” महिलाओं को न केवल रोजगार मिला, बल्कि उन्होंने पारिवारिक निर्णयों में भी अपनी भूमिका निभानी शुरू की।

Dreze and oldiges (2011) के अपने अध्ययन में बताया कि मनरेगा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

Sing, A.K. (2017) ने “MGNREGA and woman Employment in India Predes” शीर्षक से किए अध्ययन में पाया कि योजना ने ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि, आत्म विश्वास और सामाजिक सहभागिता को बढ़ाया है।

राज्य ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (2019–20) की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि महिलाओं की औसत भागीदारी 45% से अधिक रही है, जो ग्रामीण समाज में लैंगिक संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

Pandey, R. (2021) के शोध के अनुसार, मनरेगा में कार्यरत महिलाओं ने अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने, बच्चे की शिक्षा पर खर्च बढ़ाने और स्वनिर्णय क्षमता विकसित करने जैसे संकेतों से सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति की है।

ILO (2018) की रिपोर्ट “Gender and Decent work in Rural India” में कहा गया है कि मनरेगा ने ग्रामीण महिला श्रमिकों को सुरक्षित और समान कार्य वातावरण उपलब्ध कराया, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी हुई।

UNDP (2020) की रिपोर्ट “Empowering women through MGNREGA” में उल्लेख है कि ग्रामीण भारत में मनरेगा महिलाओं को न केवल रोजगार दे रहा है, बल्कि उन्हें सामुदायिक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सक्षम बना है।

Khera and Nayak (2009) के अध्ययन में पाया गया कि मनरेगा से मिली मजदूरी ने महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता दी और उन्हें सामाजिक रूप से सम्मानजनक स्थिति दिलाई।

Chopra, D. (2015) ने अपने अध्ययन में कहा कि मनरेगा ने महिलाओं के भीतर सामुहिक चेतना एवं संगठनात्मक शक्ति विकसित की है, जो दीर्घकालिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

NITI Aayog (2021) की रिपोर्ट में उल्लेख है कि कोविड-19 महामारी के दौरान मनरेगा महिलाओं के लिए “संकट काल में जीवन रेखा” हुआ। ग्रामीण परिवारों में महिलाओं को पुनः रोजगार प्राप्त किया और परिवार की आर्थिक स्थिरता बनाए रखी।

अध्ययन के उद्देश्य:-

- 1- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अन्तर्गत महिलाओं की भागीदारी, सृजित मानव श्रम दिवस का अध्ययन करना।
- 2- मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन करना, विशेषकर उनकी आय, रोजगार सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर इसके प्रभाव को समझना।

3- ग्रामीण समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, निर्णय-निर्माण में भागीदारी और आत्मविश्वास पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना।

4- विकसित भारत व 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में मनरेगा जैसी योजनाओं की भूमिका का आकलन करना, विशेषकर महिला सशक्तिकरण को नीति स्तर पर सुदृढ़ करने की दिशा में।

शोध प्रविधि:— यह अध्ययन वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक स्वरूप का है। इसमें उपयोग किए गए आंकड़े पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। आंकड़ों का संकलन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मनरेगा की वार्षिक रिपोर्टों, राजवार प्रगति रिपोर्टों तथा MGNREGA Dashboard से किया गया है। शोधकाल खण्ड वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सीमित है। इस अवधि में महिला श्रमिकों की भागीदारी, महिला मानव श्रम दिवस तथा कुशल एवं अर्थकुशल महिला श्रमिकों के योगदान का विश्लेषण किया गया है। संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण एवं तुलनात्मक अध्ययन पद्धति द्वारा किया गया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। अध्ययन के परिणामों को तालिकाओं और आलेकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

तालिका: 1— राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी (प्रतिशत में) (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक)

वित्तीय वर्ष	महिला मानव दिवस (लाख में)	कुल मानव दिवस (लाख में)	महिला भागीदारी (%)
2020-21	20675.496	38867.573	53.20
2021-22	19904.308	36309.018	54.80
2022-23	16986.290	29550.467	57.50
2023-24	18382.666	31205.826	38.90
2024-25	16876.264	29054.894	58.10

स्रोत: <https://mnrega.nic.in> ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी निरंतर सशक्त रूप से बनी हुई है। वर्ष 2020-21 में जहां यह 53.80 प्रतिशत थी, वही 2023-24 में यह बढ़कर 58.90 प्रतिशत तक पहुंच गई। हालांकि 2024-25 में इसमें हल्की गिरावट (58.10%) देखी गई, परन्तु यह अब भी आधे से अधिक है, जो यह दर्शाता है कि ग्रामीण भारत में महिलाएं मनरेगा के अन्तर्गत श्रम रोजगार का प्रमुख हिस्सा बन चुकी हैं।

यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि मनरेगा न केवल ग्रामीण रोजगार का साधना बना, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का भी प्रमुखी उपकरण सिद्ध हुआ है।

तालिका: 2— राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के अन्तर्गत कुशल एवं अर्ध-कुशल महिला श्रमिकों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–2025 तक)

वित्तीय वर्ष	कुशल महिला श्रमिक (संख्या में)	अर्ध-कुशल महिला श्रमिक (संख्या में)	कुल महिला श्रमिक	कुशल महिला श्रमिकों का प्रतिशत	अर्ध-कुशल महिला श्रमिकों का प्रतिशत
2020–21	7,22,598	1806766	2529364	28.58%	71.52%
2021–22	722177	1806350	2528527	28.57%	71.43%
2022–23	721922	1805815	2527737	28.57%	71.43%
2023–24	721685	1804969	2526654	28.57%	71.43%
2024–25	721611	1804921	2526532	28.57%	71.43%

स्रोत: <https://mnrega.nic.in> ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अन्तर्गत महिला श्रमिकों की श्रेणीगत संरचना में अर्ध-कुशल महिला श्रमिकों का वर्चस्व निरंतर बना हुआ है। वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक के पांच वर्षों के दौरान लगभग 71 प्रतिशत महिलाएं अर्ध-कुशल कार्यों में संलग्न रही, जबकि लगभग 28.5 प्रतिशत महिलाएं कुशल श्रेणी के कार्यों में भागीदारी कर रही हैं। यह अनुपात पूरे अध्ययन काल में लगभग स्थिर रहा है, जो दर्शाता है कि मनरेगा के अन्तर्गत कार्य के प्रकार, प्रशिक्षण अवसरों तथा महिलाओं की कौशल वृद्धि की दिशा में परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत धीमी है। फिर भी यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल महिला श्रमिकों की निरंतर उपस्थिति स्वयं एक सकारात्मक संकेत है। ये महिलाएं केवल मजदूर की भूमिका तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण, परिसम्पत्ति विकास, योजना कार्यान्वयन, नरेगा कार्यों की निगरानी तथा सामाजिक लेखा-जोखा जैसी गतिविधियों में थी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा अब केवल आजीविका सुरक्षा कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और कौशल आधारित रोजगार का माध्यम बन गया है। दूसरी ओर अर्ध-कुशल महिला श्रमिकों की बड़ी संख्या इस बात का संकेत है कि ग्रामीण भारत की अधिकांश महिलाएं अभी भी पारंपरिक श्रम-प्रधान कार्यों से जुड़ी हैं—जैसे वृक्षारोपण, मिट्टी खुदाई, सड़क निर्माण, जल संरक्षण, तालाब निर्माण और भूमि सुधार कार्य। इनके माध्यम से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार, सामाजिक पहचान और आत्म निर्भरता प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक आंकड़ों में स्वामित्व यह भी इंगित करता है कि महिला श्रमिकों की श्रेणीगत गतिशीलता सीमित रही है, अर्थात् अर्ध-कुशल से कुशल श्रेणी में संक्रमण (upgradation) बहुत धीमी गति से हो रहा है यह स्थिति नीति-निर्माताओं के लिए संकेतक है कि मनरेगा को केवल श्रम गारंटी योजना के रूप में नहीं, बल्कि कौशल विकास (Skill Development) के समग्र मंच के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। यदि महिलाओं को मनरेगा कार्यों से जोड़कर दिए जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्य बल की उत्पादकता और सम्मान दोनों बढ़ सकते हैं।

विकसित भारत @ 2047 के संदर्भ में यह आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं की श्रम क्षमता को मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से भी सशक्त बनाया जाए। जब महिलाएं अर्ध-कुशल से कुशल श्रेणी

की ओर अग्रसर होगी, तब वे न केवल अपनी आय बढ़ा जायेगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। इस प्रकार मनरेगा न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है बल्कि स्वावलम्बी, आत्मविश्वासी और परिवर्तनकारी नागरिक के रूप में स्थापित कर रहा है, जो विकसित भारत 2047 की आधारशिला है।

निष्कर्ष एवं सुझाव:— भारत के विकास पथ में “सशक्त एवं आत्मनिर्भर महिला” केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की केन्द्रीय शक्ति के रूप में उभर रही है” विकसित भारत व 2047” की अवधारणा में महिलाओं की भूमिका निर्णायक है, क्योंकि वे न केवल परिवार की आर्थिक रीढ़ हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और स्थायी विकास की प्रेरक भी हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं ने इस दिशा में कठोर आधार प्रदान किया है, जिनसे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक अवसर, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान तीनों ही स्तरों पर सशक्त किया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने ग्रामीण भारत की महिलाओं के जीवन में गहरा परिवर्तन लाया है। योजना के अन्तर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है उनका योगदान राष्ट्रीय स्तर पर 58% लगभग पहुंच चुकी है। यह न केवल लैंगिक समानता की दिशा में सकारात्मक संकेत है, बल्कि यह बताता है कि ग्रामीण महिलाएं अब देश की उत्पादकता श्रम शक्ति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच महिला मानव श्रम दिवस और कुल मानव श्रम दिवस के आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि मनरेगा ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी रोजगार और आय-सुरक्षा का भरोसेमंद माध्यम प्रदान किया है।

इसी अवधि में कुशल एवं अर्ध-कुशल महिला श्रमिकों की संख्या में स्थिरता और संतुलन को दर्शाता है कि महिलाएं केवल पारंपरिक कार्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि निर्माण, जब संरक्षण, वृक्षारोपण और परिसम्पत्ति सृजन जैसे विविध क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त कर रही हैं। यह प्रवृत्ति “आत्मनिर्भर भारत” की दृष्टि से अत्यन्त सकारात्मक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम का उत्पादक उपयोग बढ़ा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्वामित्व मिला है। इसके अतिरिक्त मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। अब महिलाएं केवल मजदूर नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी बनी रही हैं।

विकसित भारत की दिशा में यह आवश्यक है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को केवल योजनाओं की सफलता के रूप में न देखा जा सके, बल्कि इसे समग्र विकास रणनीति का केन्द्र बनाया जाए। जब महिला को सम्मान भागीदारी मिलती है, तो विकास की गति स्वतः तीव्र हो जाती है।

सुझाव:—

1- महिला भागीदारी का सतत विस्तार:— मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाये के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को मनरेगा कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा सकता है।

2- कौशल विकास और प्रशिक्षण:— महिलाओं को केवल अकुशल श्रमिक न मानकर, उन्हें जल प्रबंधन, परिसम्पत्ति निर्माण और हरित अवसंरचना कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाय ताकि वे कुशल श्रमिक के रूप में अधिक आय अर्जित कर सकें।

3— प्रौद्योगिकी और वित्तीय साक्षरता:— महिलाओं को डिजीटल भुगतान, बैंकिंग और तकनीकी साक्षरता के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, जिससे वे अपने आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन स्वयं कर सकें।

संदर्भ सूची:—

1— ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

मनरेगा वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक)

<https://nrega.nic.in>

2— मनरेगा एम0आई0एस0 पोर्टल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से सम्बन्धित अधिकारिक आंकड़े एवं रिपोर्ट Oct 2025

<https://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx>

3— आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

4— ग्रामीण भारत में रोजगार और लैंगिक समावेशन पर रिपोर्ट नई दिल्ली: नीति आयोग।

5— योजना आयोग (2008) एन0आई0ई0जी0ए0 के प्रदर्शन पर रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली।

6— डेज, जीन एवं ओलिडग्स, सी. (2011) ग्रामीण भारत में रोजगार गारंटी और महिलाओं का सशक्तिकरण। इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली (EPW), खण्ड 46

7— सिंह, ए0के0 (2017) उत्तर प्रदेश में मनरेगा और महिला सशक्तिकरण जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट स्टडीज।

8— उत्तर प्रदेश सरकार (2019–20) ग्रामीण विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट। ग्रामीण विकास विभाग, लखनऊ।

9— पाण्डे, आर. (2021) उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं पर मनरेगा के प्रभाव।

10— अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) (2020)/मनरेगा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नई दिल्ली।

11— संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) (2020)/मनरेगा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नई दिल्ली।

12— घेरा, रीतिका एव 'नायक (2009)/महिला श्रमिक और मनरेगा) इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली (EPW), खण्ड 441